श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 04.04.2022 को वन मुख्यालय के VC कक्ष में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. डॉ॰ पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. डॉ॰ समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, (नोडल अधिकारी–वन विकास अभिकरण) उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री बी0 पी0 गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
5. श्री आर0के0 मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
6. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव–जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि–अपर सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री एम0 एस0 राणा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन प्रतिनिधि – अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
11. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
12. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा का संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कैम्पा के अंतर्गत प्रदेश में कराए जा रहे विशिष्ट कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति

द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को प्रोजेक्ट मोड पर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः तीन अभिनव कार्य आरंभ किये जाने की योजना है जो मृदा एवं जल संरक्षण, लैंटाना उन्मूलन तथा वन विभाग के अंतर्गत रेंज स्तर तक फ्रन्ट लाइन स्टाफ के भवनों/कार्यालयों के निर्माण से संबंधित हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. प्रदेश में जल संरक्षण व वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत वर्षा जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों को न केवल प्रभाग स्तर की आवश्यकता/मांग अपितु प्रदेश के अंतर्गत और अधिक गहन तरीके से सूख रहे जल स्रोतों के पुनरोद्धार हेतु केन्द्रित किया जायेगा। इस विषय पर विगत वर्षों में विशेषज्ञों, जल संरक्षण का कार्य कर रहे संस्थानों व विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से गहन चर्चा उपरांत Sprinshed Management Committee (SMC) गठित है, जिसके सहयोग से प्रदेश व्यापी संकटग्रस्त जल स्रोतों को चिन्हित कर, वैज्ञानिक विधि से प्रत्येक स्रोत से संबंधित विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट (DTR) तैयार की जायेगी व उसके अनुसार ही क्षेत्र/स्थलवार 2–3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर, कैचमेंट ट्रीटमेंट का कार्य किया जायेगा, जिससे कि ऐसे जल स्रोतों के डिस्चार्ज में वृद्धि हो सके।
2. तेजी से फैलने वाली खरपतवार, विशेषकर लैंटाना के वन क्षेत्रों में व्यापक विस्तार को देखते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत लैंटाना उन्मूलन पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह कार्य केवल लैंटाना उखाड़ने तक सीमित नहीं होगा अपितु इसे तीन वर्षों की अवधि हेतु प्रोजेक्ट मोड में संचालित किया जायेगा। लैंटाना उखाड़ने के साथ साथ इसमें स्थानीय घास प्रजातियों के रोपण को भी सम्मिलित किया गया है जिससे कि इन स्थानों पर वन्यजीवों हेतु उचित वासस्थल विकसित हो सके।
3. वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभाग में परंपरागत रूप से बनाई जा रही वन रक्षक चौकियों के स्थान पर वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ–साथ फील्ड कार्मिकों/फ्रन्ट लाइन स्टाफ की वास्तविक आवश्यकताओं एवं उनकी सुरक्षा तथा पूर्ण प्रदेश के अंतर्गत एकरूपता के दृष्टिगत अब एकीकृत वन चौकियों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड स्तर से स्थायी आदेश निर्गत किए गये हैं व इसकी पृथक से एस0ओ0पी0 भी जारी की गई है (इसके साइड सलेक्शन रखरखाव, जिसमें एक समान रंग इत्यादि भी सम्मिलित है)। वन विभाग में बड़े पैमाने पर वन रक्षकों व वन दरोगाओं की नई भर्तियों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हैं, की सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा निर्णय लिया गया है। कार्यालय एवं आवसीय कक्षों के साथ–साथ इनमें हथियार व उपकरण, मानचित्र व अभिलेख, शौचालय व किचन सहित पृथक से बन्दीगृह का भी प्राविधान किया गया है। इसके

अतिरिक्त दूरस्थ वन क्षेत्र में प्रकाश व पानी की व्यवस्था के लिये सोलर पैनल व पंप की व्यवस्था भी की जायेगी। इसकी पृष्ठभूमि में यह मूल भावना है कि सूदूर वन क्षेत्रों में अवस्थित होने वाली ऐसी वन चौकियों में गश्त के दौरान वन कर्मियों की टीम को किसी प्रकार की असुविधा न हो, चौकियां रहने योग्य हों तथा वनों में अनैतिक/असंवैधानिक गतिविधियों में रोक लगाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.1:

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की दिनांक 05.01.2022 को सम्पन्न हुई सप्तम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 05.01.2022 को आयोजित कार्यकारी समिति की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति उक्त से अवगत हुई एवं समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.2:

वर्ष 2021–22 की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त धनराशि के विरूद्ध व्यय की अद्यतन स्थिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा प्रस्तावित रू0 95000.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष रु0 72688.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई थी। उक्त के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा रू0 44000.00 लाख का बजट स्वीकृत करते हुए धनराशि आवंटित की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को कुल रु0 43436.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। कियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि के अंतर्गत रू0 3661.00 लाख की धनराशि विगत वर्ष में प्राप्त बजट के अवशेष के अंतर्गत अवमुक्त की गई, जिसके लिए गतवर्ष में संचालन समिति के अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। उक्त के सापेक्ष दिनांक 04.04.2022 को MIS प्रविष्टि के आधार पर व्यय की प्रगति रु0 24430.15 लाख परिलक्षित है जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	8347.00	10960.00	47952.00	2479.00	2950.00	72688.00
अवमुक्त धनराशि	5247.28	5310.47	30271.12	1500.00	1107.33	43436.20
व्यय	3346.59	2444.04	17645.82	564.89	428.81	24430.15
अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %	**63.77**	**46.02**	**58.29**	**37.65**	**38.72**	**56.24**

सदस्यगणों के समक्ष मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत कार्य प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ साथ सम्पादित कार्यों के फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा वर्तमान में व्यय की न्यून प्रगति के कारणें के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रगति माह फरवरी, 2022 के व्यय के आधार पर है, इसमें प्रभागों द्वारा माह मार्च, 2022 के अंतर्गत हुए व्यय की एम0आई0एस0 प्रविष्टि नहीं की गई है। साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों में कई वन प्रभाग विधान सभा चुनाव के मद्देनजर लगी आदर्श आचार संहिता के चलते कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को निर्देशित किया जाए कि सप्ताहान्तर्गत वर्ष 2021–22 के अंतर्गत हुए समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की एम0आई0एस0 में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक व्यय की स्थिति स्पष्ट हो सके। समिति उक्तानुसार वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना की प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.3:

वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वर्ष 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना का गतिविधिवार प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विगत वर्षों की भांति वर्ष 2022–23 हेतु भी प्रभागों के स्तर से कैम्पा की MIS पर अपनी–अपनी वार्षिक कार्ययोजना, गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित स्थल वार अपलोड की गई। तत्पश्चात् वृत्त स्तर पर उक्त की समीक्षा करते हुए संबंधित वन संरक्षकों द्वारा वृत्त की कार्ययोजना जोनल स्तर की स्वीकृति

हेतु अग्रसारित की गई जिसे जोनल स्तर पर समीक्षा उपरांत संबंधित जोनल चीफ द्वारा संस्तुत कर, उत्तराखण्ड कैम्पा को ऑनलाइन एम0आई0एस0 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर पर जोनल स्तर की संस्तुति उपरांत समस्त कार्ययोजनाओं को संकलित करते हुए वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 41612.22 लाख की निरूपित वार्षिक कार्ययोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	एन0पी0वी0	कैट प्लान	अर्जित ब्याज	कुल योग
प्रस्तावित कार्ययोजना	5984.00	1461.19	28887.24	3679.79	1600.00	41612.22

कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की प्रत्येक गतिविधि के संबंध में चर्चा की गई। कतिपय गतिविधियों में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(क) क्षतिपूरक वनीकरण

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण कैम्पा की स्थल विशिष्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में पूर्व से इंगित स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण में अग्रिम मृदा कार्य हेतु जोनल स्तर से प्राप्त कार्ययोजना में प्रभागों द्वारा मात्र 622 है0 का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जबकि वर्तमान में लगभग 5200 है0 के लक्ष्य अवशेष हैं। प्रभागवार लक्ष्य प्रस्तावित न किये जाने के कारणों पर चर्चा की गई, जिसमें कई प्रकरणों में स्थल का ढंगारी अथवा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न पाया जाना भी है। इस प्रकार उक्तानुसार समिति के समक्ष रखे गये वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण, अग्रिम मृदा कार्य हेतु इस वर्ष वास्तविक लक्ष्य रखे जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी शत प्रतिशत प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा सके। इस आधार पर कुल 2200 है0 लक्ष्य निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022–23 हेतु विभिन्न वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के सापेक्ष कुल 3000 है0 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व के वर्षों में रोपित 11471 है0 क्षेत्र के अनुरक्षण व पौधशाला विकास हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई व क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों से समिति द्वारा सहमति जताई गई।

(ख) कैट प्लान

समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11 कैट प्लान संचालित हैं जिनके अंतर्गत वर्ष 2022–23 में संबंधित कैट प्लान की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु कुल रू0 3679.79 लाख धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत कैट प्लान वार विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Name of CAT plan	Unit	Physical Targets	Amount (in Lakh Rs.)
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	277.75
2	Lata Tapovan HEP	LS		292.63
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		339.13
4	Phatta Byung HEP	LS		91.00
5	Srinagar HEP	LS		54.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		837.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		490.37
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)			**3679.79**

उक्त के संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड एवं सदस्य, कार्यकारी समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि चूंकि कैट प्लान की डी0पी0आर0 की स्वीकृति 07 वर्षों के लिए जारी की जाती है, अतः उक्त अवधि में प्रस्तावित लक्ष्य पूर्ण न होने के कारण हाल ही में कतिपय योजनाओं को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के स्तर से 02 वर्ष का विस्तार दिया गया है। कुछ ऐसे भी कैट प्लान हैं जिनमें चालू योजनाओं में अभी 02 से 03 वर्षों की अवधि शेष है। ऐसी योजनाएं जो आगामी 02 वर्षो में समाप्त होने वाली हैं, उनमें परियोजना की शेष धनराशि को वर्ष 2022–23 में 60 प्रतिशत तथा वर्ष 2023–24 में 40 प्रतिशत धनराशि प्राविधानित की जानी उचित होगी जिससे परियोजना के अंतिम वर्ष में गतिविधियों का दबाव अत्यधिक न रहे व अधिकांशतः समेकन फेज की गतिविधियां ही शेष रहें। समिति द्वारा उक्त पर सहमति जताई गई।

उक्त के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण की भांति कैट प्लान भी अनिवार्य एवं समयबद्ध गतिविधि है, अतः अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सुझाव के अनुसार

कैट प्लानों के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को संशोधित कर लिया जाए तथा जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कर लिया जाए। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्लानिंग फेज़ की सभी लंबित Entry Point Activities इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएं व समेकन फेज़ की गतिविधियां परियोजना अवधि के अंतिम 02 वर्षों में पूर्ण की जाएं। उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि अनिवार्य रूप से परियोजना की डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के पश्चात् ही कार्य आरंभ किया जाए। बिना डी0पी0आर0 अनुमोदन के कार्य प्रारम्भ की स्थिति हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उनके नियंत्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस वित्तीय वर्ष हेतु प्रभागों के सभी प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि प्राविधानित कर ली जाए किन्तु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परियोजना की डी0पी0आर0 स्वीकृत है या नहीं।

उक्तानुसार प्राप्त सुझावों व अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कैट प्लान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि को संशोधित करते हुए निम्नानुसार रू0 4934.69 लाख की धनराशि प्रस्तावित/प्राविधानित की गई :–

S. No.	Name of CAT plan	Unit	Physical Targets	Amount (in Lakh Rs.)
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	840.64
2	Lata Tapovan HEP	LS		322.16
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		270.01
4	Phatta Byung HEP	LS		137.03
5	Srinagar HEP	LS		108.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		1037.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		921.94
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)		**0.00**	**4934.69**

(ग) अन्य 'विशिष्ट' कार्य

अन्य 'विशिष्ट' कार्य घटक के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि सड़कों व पारेषण लाइनों से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण मामलों में पथ वृक्षारोपण एवं बौनी प्रजातियों के रोपण की शर्तों के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है। परियोजना क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किए जाने की शर्तें निहित हैं, जिसके सापेक्ष लक्ष्य प्राविधानित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त खनन के मामलों में गौला, दाबका, सौंग, जाखन आदि नदियों में रिवर ट्रेनिंग की शर्त के अनुसार धनराशि प्राविधानित की गई है।

पथ वृक्षारोपण के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पौधों की उचित गुणवत्ता हेतु पौधशालाओं में तीन वर्षों तक पौधों का रखरखाव किया जाये जिससे कि पौधों का आकार व जड़ों की सुदृढ़ स्थिति से रोपित पौधों की सफलता मानकों के अनुसार रहे व रोड साइड प्लान्टेशन में 3 वर्षों तक की पौध का ही रोपण किया जाए।

इस प्रकार इस मद में कुल रू0 1461.19 लाख की धनराशि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। समिति उक्त से अवगत हुई तथा अपनी सहमति प्रदान की गई।

(घ) एन0 पी0 वी0

एन0पी0वी0 घटक के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के नियम 5(2) तथा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार एन0पी0वी0 की प्रस्तावित गतिविधियों को कमशः न्यूनतम 80 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत की श्रेणी में विभाजित किया गया है। समिति द्वारा गतिविधिवार चर्चा के दौरान दिये गये निम्न सुझावों एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में निम्न संशोधन किये गये:–

(i) नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्राविधानित रू0 1210.28 लाख की धनराशि के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पुनः अवलोकन कर लिया जाए व इसके अंतर्गत कैम्पा से केवल वृक्षारोपण के कार्य हेतु ही धनराशि प्राविधानित की जाए।

(ii) वनाग्नि प्रबंधन मद में प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार प्रदेश में वनाग्नि प्रबंधन एवं वनाग्नि की घटनाओं की जिलावार जानकारी के लिये राज्य स्तरीय वनाग्नि कंट्रोल रूम को सुदृढ़ करते हुए इसे Integrated Forest Fire Control & Command Centre के रूप में विकसित किया जाना है। इस केन्द्र में वनाग्नि की घटनाओं की जिलावार व रियलटाईम मॉनिटरिंग से संबंधित सूचनाओं हेतु पैनल लगाए जाऐंगे व वनाग्नि की स्थिति में संबंधित को त्वरित कार्यवाही हेतु उक्त सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वनाग्नि सुरक्षा मद में प्रस्तावित रू0 1229.18 लाख की धनराशि के अंतर्गत रु0 300.00 लाख की धनराशि Integrated Forest Fire Control & Command Centre हेतु प्राविधानित करते हुए उक्तानुसार प्रस्ताव सम्मिलित किया गया।

(iii) Soil and Water Conservation under Springshed Management मद में प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अपेक्षानुसार Preparation and Implementation of State Level Landslide Treatment Plan हेतु धनराशि प्राविधानित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार उक्त मद में प्राविधानित रू0 5354.30 लाख की सीमा के अंतर्गत ही उक्तानुसार State Level Landslide Treatment Plan तैयार किये जाने एवं क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक रूप से रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iv) प्राकृतिक पर्यावास सुधार मद में प्राविधानित लैंटाना प्रजाति के उन्मूलन के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसके संबंध में प्रभागों को स्पष्ट गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाये, जिसमें लैंटाना उन्मूलन के साथ साथ घास प्रजातियों का रोपण व रखरखाव का कार्य तीन वर्षीय योजना के रूप में कियान्वित किया जाए। साथ ही उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि लैंटाना उन्मूलन का कार्य प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना के अनुसार ही किया जाये तथा इसमें लक्ष्यों व धनराशि के आवंटन से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लैंटाना ग्रस्त क्षेत्रों में आच्छादन की दर क्या है तथा 100, 75 अथवा 50 प्रतिशत की दर, जहां जैसा लागू हो, के आधार पर ही सम्बन्धित वृत्त की अनुसूचित दरों के अनुसार ही धनराशि आवंटित की जाए। लैन्टाना एवं अन्य घास प्रजातियों के उन्मूलन के सम्बन्ध में SCIENCE संस्था द्वारा तैयार किए गये डाटा का भी परीक्षण कर लिया जाए। इस हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को SCIENCE संस्था से उक्त डाटा/रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का दायित्व दिया गया।

(v) Construction of Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त रेस्क्यू सेंटर कहां प्रस्तावित हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एक रेस्क्यू सेंटर कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में निर्माणाधीन है एवं दूसरा लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत कण्वाश्रम में निर्माणाधीन है जिसकी CZA से भी स्वीकृति ली गई है, वर्ष 2022–23 कीं कार्ययोजना में इस हेतु ही धनराशि प्राविधानित की गई है।

(vi) Construction of Monkey Rescue Centre के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के अंतर्गत प्राविधानित रू0 269.00 लाख की धनराशि के अंतर्गत कुल 02 केन्द्र निर्मित होने हैं जिनमें से एक केदारनाथ वन प्रभाग में तथा

दूसरा दानी बंगर क्षेत्र में, तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार अल्मोड़ा तथा हरिद्वार स्थित वानर रेस्क्यू सेंटरों के रखरखाव हेतु भी धनराशि को सम्मिलित करते हुए उक्त में कुल रू0 300.00 लाख की धनराशि प्राविधानित करने का निर्णय लिया गया।

(vii) Strengthening of Voluntary Village Wildlife Protection Force (VVWPF) के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा VVWPF के स्थान पर उक्त के लिये Task Force on Human Wildlife Conflict Mitigation का उपयोग किया जायेगा। अतः इसे तद्नुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(viii) Radio Collaring के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का सुझाव प्राप्त हुआ कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न वन्यजीवों के मूवमेंट की tracking हेतु रेडियो कॉलर लगाए जाने हैं, जिनका साईज भी भिन्न है। यह अभी development फेज में है अतः उक्त मद के शीर्षक को संशोधित कर Radio Collaring / Development of Wildlife Tracking Technologies किये जाने की अपेक्षा की गई। समिति द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई।

(ड़) अर्जित ब्याज

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबंधन व अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि हेतु अर्जित ब्याज मद में धनराशि का प्राविधान किया जाता है। उक्त प्राविधान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम 6(a) व 6(b) के अंतर्गत प्रस्तावित किये जाते हैं जिसमें कैम्पा कार्यों की मॉनिटरिंग, क्षतिपूरक वनीकरण व कैट प्लानों में बढ़ी दरों की प्रतिपूर्ति आदि का प्राविधान भी किया जाता है। उत्तराखण्ड कैम्पा, भारत सरकार के राजपत्र द्वारा गठित स्वायत्तशासी प्राधिकरण है, इसका पृथक कार्यालय/परिसर established किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कैम्पा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रारम्भिक रूप से रू0 600.00 लाख की धनराशि का अर्जित ब्याज के अंतर्गत प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना में अर्जित ब्याज की रू0 1400.00 लाख की धनराशि विभिन्न मदों में कार्यवृत्त के पृष्ठ सं0–17 के G 1 से 5 अनुसार प्रस्तावित की गई है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार संशोधन उपरान्त वर्ष 2022–23 हेतु कैम्पा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल रु0 41898.12 लाख की कार्ययोजना को निम्नानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :–

(धनराशि लाख रू0 में)

	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	एन0पी0वी0	कैट प्लान	अर्जित ब्याज	कुल योग
प्रस्तावित कार्ययोजना	5184.00	1461.19	28918.24	4934.69	1400.00	41898.12

उपरोक्त का गतिविधिवार विवरण (एन0पी0वी0 के न्यूनतम 80 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत सहित) निम्नानुसार है :–

UTTARAKHAND CAMPENSATORY AFFORESTATION FUND MANAGEMENT AND PLANNING AUTHORITY

(UTTARAKHAND CAMPA)

ANNUAL PLAN OF OPERATION 2022-23

S. No.	Specific Head	Unit	Physical Target	Financial Target (Lakh Rs.)
1	2	3	4	5
	SITE SPECIFIC WORKS			
A-COMPENSATORY AFFORESTATION				
1	CA-Advance Soil Works @ 1100 pits/ha	ha	2200	1952.00
2	CA-Plantation @ 1100 plants/ha	ha	3000	1082.00
3	CA-Plantation Maintenance	ha	11471.48	1500.00
4	CA-Nursery Raising	No.	4000000	450.00
5	CA- Nursery Maintenance	No.	8253026	200.00
	SUB TOTAL (A)			**5184.00**
B-CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN				
1	Tapovan Vishnugad HEP	LS	As per approved DPR (details attached)	840.64
2	Lata Tapovan HEP	LS		322.16
3	Singoli Bhatwari HEP	LS		270.01
4	Phatta Byung HEP	LS		137.03
5	Srinagar HEP	LS		108.92
6	Vyasi HEP	LS		282.88
7	Lakhwar HEP	LS		1037.07
8	Vishungad Pipalkoti HEP	LS		921.94
9	CAT PMU	LS		98.50
10	Mori Naitwar HEP	LS		460.01
11	Jamrani HEP	LS		346.92
12	Khutani HEP	LS		108.61
	SUB TOTAL (B)		0.00	**4934.69**

C OTHER 'SPECIFIED' WORKS/CONDITIONS (As per Section 6(a) of CAF Act 2016)				
1	Rd. side plantation(RSP)-ASW	ha	**18.55**	43.34
2	RSP-Plantations	ha	**152.08**	269.94
3	RSP-Plantation Maintenance	ha	**270.86**	87.80
4	RSP Nursery Raising	nos.	0.00	0.00
5	RSP Nursery Maintenance	nos.	0.00	0.00
	Sub-Total			**401.08**
6	Gap Filling (GF)-ASW	ha	2.49	4.81
7	GF-Plantations	ha	107.62	166.27
8	GF-Plantation Maintenance	ha	11724.17	27.99
9	GF- Nursery Raising	nos.		
10	GF-Nursery Maintenance	nos.	58472.00	3.69
	Sub-Total			**202.76**
11	Dwarf Species Plant.(DSP)=ASW	ha	12.47	8.69
12	DSP-Plantations	ha	129.91	59.20
13	DSP-Plantation Maintenance	ha	106.71	13.44
14	DSP- Nursery Raising	nos.	8217.00	0.74
15	DSP-Nursery Maintenance	nos.	91560.00	4.78
	Sub-Total			**86.85**
16	River Training Works [KOSI , DABKA , SONG, GOLA & Others]	LS	LS	770.50
17	Muck Disposal	LS		
	SUB TOTAL		**0.00**	**1461.19**
D - Integrated Wildlife Management Plan (IWLMP)				
18	Implementation of Integrated Wildlife Mangement Plan (IWLMP)	No.	As per plan submitted	0
	Sub-Total			**0**
E - Regeneration of Safety Zone				
19	Implementation of Regeneration of Safety Zone	No.	As per plan submitted	0
	Sub-Total			**0**
	TOTAL (Site Specific Works)		**0.00**	**11579.88**
F - NET PRESENT VALUE (NPV)				
ACTIVITIES AS PER RULE 5(2) OF CAF RULES, 2018 - MINIMUM 80% OF NPV				
ANR & PLANTATION ACTIVITIES				
1	Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	1905	1071.69
	Sub Total			**1071.69**
	Plantations under NPV (Oak, Deodar, others)			
2	Plantations	ha	280	89.21
3	Advance Soil Work (ASW)	ha	698.4	603.56
4	Plantation Maintenance	ha	978.5	139.64

5	Nursery Development (Garhwal & Kumoun Region	Nos.	4	471.47
6	Nursery Maintenance	Nos.	245055	251.43
	Sub Total			**1555.31**
7	Community Plantations and Mobilization during Harela / Van Mahotsav	Nos.	104690	104.69
8	Other/Mixed Plantations under NPV	ha	1136.6	775.54
9	Treatment of **Critically Polluted River Stretches** (Hon. NGT OA 673/2018-More river stretches are now critically polluted) - Bhela, Dhela, Suswa, Pilakhar, Nandhaur, Kalyani & Treatment of degraded forest watersheds (Gagaas) using LIDAR technology.	Nos.	7	600.00
	Sub-Total (NGT 673)			**600.00**
10	Restoration of water bodies, ponds, plantations and artificial wetlands in **Ganga Flood Plain Zones** as per directions of Hon. NGT in OA no. 200/2014			
i	**Plantations in flood Plain Zone**			
a.	Advance Soil Work (ASW)	ha	174.5	54.42
b.	Plantations	ha		
c.	Maintenance	ha		
	Sub-Total			**54.42**
ii	Treatment works - check dams	Nos.	1475	334.27
	Sub-Total			**334.27**
11	Conservation & development of wetlands as per directions of Hon. NGT in OA no. 325/2015 (wetlands existing in forest areas of Uttarakhand)			
i	Plantations	ha	24	9.40
ii	Treatment works - cleaning etc.	Nos.	5	1.09
iii	Treatment works - check dams in catchment	Nos.	1035	144.50
iv	Treatment works - contour trenches in catchment	ha	5	1.21
vi	Treatment works - percolation pits in catchment	ha	50	12.50
vii	other works (please specify)	LS	LS	14.50
	Sub-Total			**183.20**
12	Plantations under Namami Gange Project	ha	1400	1210.28
13	Plantation in Urban Areas / Establishment of City forests	nos.	1	50.00
				5939.40
	P			
14	**Protection of Bugyals / Alpine Meadows**	Nos./ha	1530	378.00

	Sub-Total		**1530**	**378.00**
15	**Forest Fire Prevention and Control**			
i	Forest Fire Management	fire figting tools, crew station, control room maint., fire watchers, , hiring of vehicles etc.	4245	929.18
ii	Upgradation of State Level Forest Fire Control Room to **'Integrated Forest Fire Control and Command Centre'**	LS	LS	300.00
	Sub-Total			**1229.18**
16	Pest and Disease Control	ha	LS	0.00
	Total Forest Protection			**1607.18**
SOIL & WATER CONSERVATION				
17	**Soil and Water Conservation Works**			
i	Preparation of DTR for treatment and management of natural springs	Nos.	40	200.00
ii	Springshed Management as per SMC and Rejuvenation of Rivers	Nos.	277	3654.30
iii	Plantation for Soil conservation	Nos.	1000	1000.00
iv	Preparation and Implementation of **'State level Land Slide Treatment Plan'**	LS	LS	500.00
				5354.30
WILDLIFE MANAGEMENT				
18	**Habitat Improvement**			
i	Eradication of Lantana & other invasive species and plantation of grassland	ha	7387	1454.04
ii	Maintenance - Eradication of Lantana & other invasive species - Year 1, 2 & 3	ha	12852	1405.89
	Sub-Total			**2859.93**
19	**establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals;**			
i	Construction of Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre (Corbett TR & Lansdowne FD)	Nos.	2	287.39
ii	Construction of Monkey rescue centres (Kedarnath WLD, Terai East FD) and Maintenance of Haridwar & Almora Centres.	Nos.	4	300.00

iv	Monkey Catching from urban / rural habitations and releasing in remote forest areas, Sterilization, post surgery care etc.	Nos.	50000	754.80
vii	Food for wild animals kept at the rescue centres	No. of res. centres	3	100.00
	Sub-Total			**1442.19**
20	**Human Wildlife Conflict Management**			
i	Solar / Electrict Fencing over forest boundaries	km	133.55	411.62
ii	Elephant proof Trenches	km	96.86	419.13
iii	Elephant /wildboar proof wall at critical boudaries	km	12.63	330.27
	Maintenance of protection wall	km	29.84	271.58
	Sub-Total			**1432.60**
21	EDC / Village Protection Force (entry point activities, microplanning etc.)	No. of EDCs	101	156.00
22	Strengthening of VVWPF to Task Force on Human Wildlife Conflict Mitigation	No.	277	80.25
23	Anti Poaching Activities	Nos.	288	240.80
24	Estimation of Wildlife Populations	No. of Species	LS	193.00
25	Equiment for forest and Wildlife Protection	No. of Equipment	411	126.20
26	Construction of water holes to create drinking water facility for wild animals	No. of water holes	285	179.00
27	Pasture/ Chaur Development incl maintenance	ha	1327.7	148.55
28	Development of Wildlife Tracking Technology, Radio Collaring	Nos.	LS	16.00
	Sub-Total			**1139.80**
	Total Wildlife Management			**6874.52**
29	**STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS**			
i	A.N.R in Van Panchayats	ha	648.4	384.58
ii	Creation of Boundary Pillars in VP	Nos.	1141	58.99
iii	Survey & Demarcation in VP's	ha	267.02	5.4
iv	Management of invasive species in VP's	ha	68.8	17.27
v	Soil & Water Conservation Works in VP	Nos.	1860	414.48
vi	Extension and Awareness Programes / Exposure Visits	No. of Participants	204	32.85
vii	prepration of Sahat Prabandh Yojna and Microplan	Nos.	341	47.62
viii	Publication and Training Material in VP's	Nos.	LS	12.75
ix	Strategic Planning & Strengthening of Van Panchayats	LS	LS	11.5
x	Workshops and Training in VP's (Village, district and state level trainings/workshops)	Nos.	1082	70.55

	Sub-Total			**1055.99**
	Pasture / Fodder Development in Van Panchayats			
xi	Pasture /Fodder Development - ASW	ha	512	417.6
xii	Pasture /Fodder Development - Plantation	ha	149	47.16
xiii	Pasture /Fodder Development - Maintenance	ha	576	67.47
xvi	Pasture /Fodder Development - Nursery Raising	Nos.	62000	7.56
xvi	Pasture /Fodder Development - Nursery Maintenance	Nos.	0.00	0.00
	Sub-Total			**539.79**
	Plantations in Van Panchayats			
xvii	VP Plantation - ASW	ha	363	321.62
xviii	VP Plantation - Plantation	ha	335	122.77
xix	VP Plantation - Maintenance	ha	585.5	74.41
xx	VP Plantation - Nursery Raising	ha	178000	17.8
xxi	VP Plantation - Nursery Maintenance	ha	165000	6.72
	Sub-Total			**543.32**
xii	Fire Protection Activities in VP's	Nos.	110	148.98
xiii	Other Misc activities (IGP, livelihood, HWC etc.)	LS	LS	70.4
Total (Strengthening of Van Panchayats)				**2358.48**
30	Eco tourism related activities	Nos.	8	173.00
31	Provisioning of Biodiversity Conservation	No. of Projects	1	90.00
	Sub-Total			**263.00**
32	**Forestry & Wildlife Research**			
i	Collaborative Research	No. of Projects	12	241.70
ii	Modern seed storage facility for important nursaries	No. of Projects	4	27.00
iii	Demonstration plots & trails of need based initiatives	ha	92.48	187.00
iv	Development of nursery techniques	No. of Projects	6	22.00
v	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	ha	18.9	64.50
vi	Strengthening of Research Cell & Upgradation of laboratory	Nos.	17	210.50
	Sub-Total (Research)			**752.70**
	TOTAL - Min. 80% (Rule 5(2)) - 80.05%	**80.05**		**23149.58**
ACTIVITIES AS PER RULE 5(3) OF CAF RULES, 2018 - UPTO 20% OF NPV				
33	**Trainings, Workshops & Capacity Building**			
i	Strengthening of Training Institutes	Nos.	3	20.30
ii	Trainings & Capacity Building	Nos.	309	184.65
	Total (Trainings)			**204.95**
34	**Survery & Demarcation**			

i	Survery and Demarcation of forest boundaries (digitization of forest boundaries)	ha	LS	500.00
	Total (Survey)			**500.00**
35	Building Construction for Frontline Staff	Nos.	95	2460.24
36	Repair of office/residence of front line staff	Nos.	249	431.50
	Sub-Total			**2891.74**
37	Construction of watch towers (installation of prefabricated structures only)	Nos.	27	182.08
38	Construction of high altitude patrolling shelters	Nos.	11	131.00
39	Modernization of forest barriers	Nos.	59	198.00
	Sub-Total (Construction)			**511.08**
40	Repair of forest roads / bridle paths	Km	4412.17	1375
41	Communication & Information Technology	LS	LS	68.48
42	Public awareness, publicity and extension,	LS	LS	83.72
43	Maintenance of Fire Lines	km	21000	133.69
	TOTAL - Upto 20% (Rule 5(3)) -19.95%			**5768.66**
	Total NPV under Rule 5(2)+5(3)	**19.95**		**28918.24**
G - CAMPA INTEREST COMPONENT				
1	Monitoring and Evaluation of CAMPA works	LS	LS	200.00
2	CAMPA Office Management	LS	LS	400.00
3	CAMPA State authority office building construction	LS	LS	600.00
4	Incremental Cost of CAT plans	LS	LS	100.00
5	Incremental Cost of Compensatory Afforestation	LS	LS	100.00
	Total in CAMPA Interest Component			**1400.00**
	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)			**41898.12**

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.4:

क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति एवं बैकलॉग की अद्यतन स्थिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के हस्तांतरण के अंतर्गत अनिवार्य शर्त के रूप में समतुल्य अथवा दोगुने वृक्षारोपण की शर्त अध्यारोपित रहती है। उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन से वर्तमान तक प्रदेश में 33118 हे0 के सृजित लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 27888.98 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 5229 हे0 का लक्ष्य शेष है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

YEAR	Total Target (Ha)	Achievement (Ha)
2011-12	33118	3843.43
2012-13		438.77
2013-14		2696.25
2014-15		2077.91
2015-16		1245.24
2016-17		2886.00
2017-18		3474.21
2018-19		2714.79
2019-20		3222.45
2020-21		2589.93
2021-22		2700.00
TOTAL	**33118.00**	**27888.98**

समिति उक्त से अवगत हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राथमिकता पर क्षतिपूरक वनीकरण के शेष लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.5:

भारत सरकार के निर्देशानुसार वनीकरण कार्यों की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा की गई प्रविष्टि की प्रगति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर वर्तमान तक उत्तराखण्ड से संबंधित कुल 10469 पॉलीगन अपलोड किए गए हैं। वनीकरण सम्बन्धी कुल अपलोड किये जाने वाले polygon के लक्ष्य व प्रभागों द्वारा अब तक अपलोड किये गए polygon की स्थिति निम्नानुसार हैं।

Progress of Plantation Related Polygons Uploaded on E-green Watch Portal

TARGETS	ACHIEVEMENT
4500	2976

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में E-green watch पोर्टल पर कुल अपलोड किये गए 10469 polygons में से FSI द्वारा 3105 polygons पर आपत्ति की गई है, जिनको ठीक किये जाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से सभी संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को निर्देशित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त क्रियान्वयन अभिकरणों को इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह भी

निर्देशित किया गया है कि वनीकरण से सम्बंधित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड किया जाय व वर्तमान स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय। समिति के समक्ष ई–ग्रीन वॉच के माध्यम से प्रभागों द्वारा अपलोड किये गये पॉलीगन्स के आधार पर सम्पादित कार्यों के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एफ0एस0आई0 द्वारा जिन पॉलीगनों पर आपत्ति की गई है, उन्हें शीघ्र सही करते हुए, अन्य सम्पादित कार्यों जिनकी ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रविष्टि नहीं हो पाई है, उनमें अतिशीघ्र KML File Upload किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाए।

समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.6:

उत्तराखण्ड कैम्पा की महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा किये गये ऑडिट रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति।

सदस्य सचिव द्वारा उक्त ऐजेन्डा बिन्दु के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य माह अगस्त 2021 में पूर्ण किया गया है जिसके सापेक्ष महालेखाकार कार्यालय द्वारा पूर्व में वर्ष 2017–18 की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट एवं वर्ष 2018–19 की ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। समिति के समक्ष पूर्व में वर्ष 2017–18 की रिपोर्ट पर ए0टी0आर0 प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2018–19 की अन्तिम ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई दी गई है, ए0टी0आर0 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के आगामी वर्षों 2019–20 व 2020–21 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को अनुरोध किये जाने के निर्देश दिये गये। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 8.7:

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुईः–

1. उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 में संपादित कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार वन अनुसंधान संस्थान द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में एवं वन अनुसंधान संस्थान की पूर्व देयता रू0 46.17 लाख के भुगतान के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के पत्रांक–541, दिनांक 28.12.2016 द्वारा वर्ष

2012–13 से वर्ष 2015–16 तक कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित वनीकरण कार्यों (लगभग 13428 है0) के तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को 3 वर्षों में पूर्ण किए जाने हेतु कुल रु0 155.63 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दिनांक 30.06.2021 को एफ0आर0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कुल 16482 है0 क्षेत्र का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया गया है, जिसकी लागत रु0 197.78 लाख आकलित है।

इस प्रकार एफ0आर0आई0 के साथ पूर्व की शर्तों अनुसार उन्हें वर्ष 2021–22 तक कुल रु0 151.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अतिरिक्त क्षेत्र के लिए की गई मॉनीटरिंग अनुसार उनके द्वारा अवशेष रु0 46.17 लाख की धनराशि की अतिरिक्त मांग की गई है। इस प्रकरण पर समिति से निर्णय लेने हेतु समिति से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया गया कि उनके साथ पूर्व में उल्लिखित शर्तों का एक बार पुनः अध्ययन कर लिया जाए, यदि MoU की शर्तों से अधिक कार्य सम्पादित किया गया है तो अतिरिक्त कार्य की पत्रावली एवं इसकी उपयोगिता/अनिवार्यता का भी अध्ययन करते हुए इसको अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाए, तदोपरान्त ही इसमें निर्णय लिया जाए। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 से आगे की अवधि के कैम्पा कार्यों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के कार्य भी कराये जाने हैं। इन कार्यों को एफ0आर0आई0 से कराये जाने हेतु उनसे पहले सुस्पष्ट प्रस्ताव (वर्षवार) प्राप्त कर लिया जाए, उनके MoU में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि उक्त कार्य मात्र अनुश्रवण रिपोर्ट तक ही सीमित न हो, अपितु इसमें पाई गई कमियों के निराकरण, किसी विशेष क्षेत्र में लक्ष्यों से कम सफलता प्रतिशत के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी एवं कार्यों को अधिक बेहतर कराए जाने/उच्च सफलता प्रतिशत प्राप्त किये जाने हेतु उसके सुझाव भी अपेक्षित होंगे, ताकि कार्यों में और गुणवत्ता परिलक्षित हो।

2. समिति को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से कैम्पा के अंतर्गत व्यय को बजटीय/कोषागार मोड से किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। कैम्पा प्राधिकरण के अंतर्गत समस्त कार्यरत कार्मिकों को वेतन, भत्ते इत्यादि कैम्पा के अर्जित ब्याज से ही देय होते हैं, जो कि वार्षिक कार्ययोजना के अर्जित ब्याज के घटक के अंतर्गत ही स्वीकृत होते हैं। अतः सदस्यों को अवगत कराया गया कि कैम्पा का वर्ष 2022–23 का ए0पी0ओ0 संकलित कर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे संस्तुति उपरान्त संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन उपरान्त अन्तिम स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें लगभग जून माह तक स्वीकृति प्राप्त होनी सम्भावित होगी। अतः इस अवधि में कार्ययोजना की स्वीकृति की प्रत्याशा में कैम्पा प्रबन्धन के अंतर्गत ब्याज की धनराशि से वेतन, भत्ते व कैम्पा प्रबन्धन सम्बन्धी व्यय

के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अर्जित ब्याज के अंतर्गत कैम्पा प्रबंधन, वेतन, भत्ते आदि से संबंधित व्यय उत्तरखण्ड कैम्पा के स्तर पर शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष पूर्व व्यवस्था अनुसार ही किया जाये व शेष कैम्पा के समस्त फील्ड कार्यों को शासन के निर्देशानुसार ही अनिवार्य रूप से बजटीय/कोषागार व्यवस्था के अनुसार की कराया जाये।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

अनुमोदित

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड
एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 78 / EC (8) दिनांक, देहरादून, 04 मई, 2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
6. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
8. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
9. हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
10. उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।

(जी॰एस॰ पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 78 (1)/ EC(8) उक्त दिनांकित।
प्रलिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

(जी॰एस॰ पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव, उत्तराखंड कैम्पा।